

(2)


7. योग प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों योग साधना केन्द्रों व निशुल्क चिकित्सा/औषधालय की स्थापना करना।
8. शहरी विकास एवं ग्रामीण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खंडजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सानुदायिक केन्द्रों आश्रय स्थल की स्थापना करना। निर्माण करना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।
9. स्कूली, बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरणा दायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषण मालाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, आडियो-वीडियो-सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना।
10. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन-पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
11. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियों, परिपोषक एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान-अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।
13. समय-समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे-भोजन, कपड़े दवाएँ, अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।
14. विकलांगों, अंग-भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की बौद्धिक सहायता उपलब्ध कराना।
15. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सृष्टीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

Anu Singh - लखनौ, Seemax International School, Seemax International School, Gaurish




Seemax International School
Tilapia, Greater Noida

Seemax International School
Manager



(3)

16. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनाएँ चलाना।
17. धर्मार्थ अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र, वृद्धावस्था-आवासगृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
18. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण कराना तथा उन्हें खेल-कूद, व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना।
19. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
20. लघु उद्योगों एवं हस्त शिल्प को विकसित करना।
21. ग्रामोदय, सर्वोदय, धर्मार्थ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सामान्य ज्ञान, साहित्यिक, महिला समस्याओं पर आधारित पुस्तक, खेलकूद एवं कानून से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन करना एवं प्रसार करना।
22. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ०प्र० तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना जिसमें, खादी ग्रामोद्योग का उत्थान उत्पादन तथा बिक्री करना इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर खर्च करना।
23. ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु कर्पाट व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, समाज कल्याण विभाग, वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता/अनुदान/ऋण से क्षेत्र एवं मानव का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना व ग्रामोद्योग कलस्टर की स्थापना करना व पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षा रोपण करना।
24. समाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामग्री एवं वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नोमीनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।
25. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल-अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा प्राप्त करना।
26. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों व महापुरुषों की जयन्ती आदि कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग प्रदान करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।



 Seemax International School, Tilapata, Greater Noida

 Seemax International School, Tilapata, Greater Noida

 Seema Singh

 Manager

402

स्टाफ विवर की तिथि 17-5-07
स्टाफ का कार्य का वर्गीकरण _____
स्टाफ कोता का नाम व पूरा पता _____
स्टाफ की अमरता 500

जीएम सरलाबाबू रजि. नेशनल ट्रेड

M (14)
मुकेश कुमार बाण्य
लाइसेंस नं०- 83
लाइसेंस की अचधि- 31-3-200 8
तल्लील-सावनी



Principal
Prusna
Seemax International School
Haryana, Greater Noida

Seemax International School
Seema Singh
Manager



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

T 008585

27. ट्रस्ट के सुचारु प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।

ट्रस्टीगण :-

(क) निम्नांकित व्यक्ति ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टीगण होंगे :-

1. सर्व श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 38 वर्ष निवासी एच-30, अल्फा-द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।
2. श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री होती सिंह आयु 52 वर्ष निवासी ज्योति कालोनी, सिकन्दराराऊ जिला-हाथरस (उ0प्र0)।
3. श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 36 वर्ष निवासी संजय कालोनी, सासनी जिला-हाथरस (उ0प्र0)।
4. श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री अरुण कुमार सिंह आयु 35 वर्ष निवासी एच-30, अल्फा-द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।
5. श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह आयु 32 वर्ष निवासी संजय कालोनी, सासनी जिला- हाथरस (उ0प्र0)।
6. श्रीमती गिरिजेश कुमारी पत्नी श्री ललित कुमार सिंह आयु 32 वर्ष निवासी गाँव टिकारी पो0 टिकारी तह0 सासनी जिला-हाथरस (उ0प्र0)।

(ख) श्री अरुण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोनों व्यक्ति अपने-अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे। जब तक कि इनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी कोआप्ट कर लेंगे।

(ग) आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा ज्येष्ठतम पुत्र/पुत्री स्वतः ट्रस्टी कोआप्ट समझे जायेंगे तथा अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे।

(घ) अन्य ट्रस्टीगण में से दो-दो की संख्या में प्रति 3 वर्ष बाद रिटायर होते रहेंगे प्रथम में ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर होंगे। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुनः कोआप्ट किये जाने के लिए अर्ह होंगे।

(ङ) मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की राह में सहायक हो सके ट्रस्ट का ट्रस्टी कोआप्ट कर सकेंगे।

(च) ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण भी अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

Arun Singh

संजय कुमार सिंह

सीमा कुमारी

Girish



Seemax International School
Iilapa, Greater Noida

Seemax International School

Seema Singh

Manager

स्टाम्प दिवस की तिथि 17-5-07

स्टाम्प क्रम संख्या का प्रयोग

स्टाम्प के लिए नाम का पूरा पता

स्टाम्प की रकम

सीडिआ सरला वाणू शर्मा इस्ट

100

M. [Signature]
महिला क्लब का अध्यक्ष
संख्या 10-03
ता. 17-5-07
सासनी-सासनी



Principal
Seemax International School
Ghazipur, Greater Noida

Seemax International School
[Signature]
Manager



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

T 008586

5. प्रबन्धन :-

(अ) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं नियंत्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होंगे। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय व विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फण्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूंजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण को यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय-समय पर ट्रस्ट के सुचारु प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11 से 13 एवं 80-जी के प्रावधानों के विपरीत न हों।

(ब) ट्रस्ट के सुचारु प्रबन्धन, आय-व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयोजित की जायेगी।

(स) ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

(द) ट्रस्टीगण की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों की अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

(य) बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

(र) ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी तीन लगातार बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर सकते हैं।

(ल) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार्य होगा।

6. ट्रस्टीगणों के अधिकार :-

1. ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्धन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं व्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय का अन्य देनदारियों का भुगतान करना।

2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किये गये हों तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साधक हों।

Annu Singh - अन्ना सिंघ

अजय कुमार सिंह

अपूर्वा

Girish

494

दिनांक 17.5.07

स्थान

स्वामीजी

100

शुद्धी, शन्साप
मुकेश कुमार बाजय

साक्षात् मंत्र- 03
लाइसेंस की अवधि-31-3-2008
तहसील-सासनी



Principal
Seemax International School
Tilapta, Greater Noida

Seemax International School
Seema Singh
Manager



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 008587

(6)

3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउण्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबन्धक में से किसी एक के नाम से, ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, खोला एवं संचालित किया जायेगा।
4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख-रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टीगण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।
5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेंगे।
6. ट्रस्टीगण को, अपने विवेक से लिये गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में हैं, को विक्रीत करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये क्रय-विक्रय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि हो जाती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा क्रय किये जाने के लिए भुगतान हेतु बाँधित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।
7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/बार्षिक चन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।
8. ट्रस्ट के समस्त लेखे एवं आय-व्यय का विवरण निर्धारित लेखा-अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे, आय-व्यय तथा बैलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराया जायेगा।
9. ट्रस्टीगण द्वारा समय-समय ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखा लिपिक कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

Anu Singh - चन्दापत्रिका

शेखर कुमार सिंह

Seema Singh - कक्षा कुमारा

Gita Jesh



Seemax International School
Tilapah, Greater Noida

Seemax International School

Seema Singh
Manager

495

17.5.07

स्थापक विद्यापीठ

स्थापक विद्यापीठ

स्थापक विद्यापीठ

स्थापक विद्यापीठ

श्री उमेश प्रसादाबाबू रज्जुकेशनल प्रेस

100

M. 100

उद्देश्य

ला.वि.सं. 100-100

ला.वि.सं. 100-100-2008

ला.वि.सं. 100-100



Seemax International School

Seema Singh

Manager

Principal

Seemax International School
Greater Noida



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

T 008588

10. ट्रस्टीगण समय-समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसके अंश को बन्ध करके अथवा बॉण्ड, डिबेन्चर, डिपाजिट, रिसीट, प्रोमिजरी नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझे के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

11. ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे।

यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियों ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जायेंगे।

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 18-5-07 2007 को तहरीर कर दी है कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

साक्षियों के हस्ताक्षर :-

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण :-

1. श्यामवीर सिंह सज्ज
S.O.M. Co-Ord Sahni
S/O श्री श्रीराम कुमार
नि. को. म. र. व. (ता. रा. र.)
2. गजेन्द्र कुमार
S/O श्री श्रीराम कुमार
नि. को. म. र. व. (ता. रा. र.)

1. Anun Singh
2. चन्द्रशेखर
3. सी. जय. कुमार सिंह
4. Seema Singh

यह दस्तावेज कानून के अन्तर्गत वैध है।

आवक लेखक का नाम श्री श्रीराम कुमार
नमूना सं. 16 दिनांक 18-5-07
एक विधि मानव स्थान हायरत जिला हायरत
रा. मई कालि
आवक लेखक के हस्ताक्षर श्री श्रीराम कुमार

6. अना कुमारी

Girish

Principal
Seemax International School
Tilapta, Greater Noida

Seemax International School

Seema Singh
Manager

17.5.07

स्वास्थ्य विभाग
दिल्ली
संख्या
100

ओडिसा सरला बाबू स्मृति कौशल प्रकल्प

100

M. (100)

बुद्धिमान कुमार साहू
कार्यवाही नं०- 00
लाइसेंस नं०- 31320 8
राज्यपालिका-राजपुरी

आवक क्रमांक 185 को इतिवृत्तान्त प्रति
पुस्तक संख्या 100 खण्ड/वि.नं.
संख्या 01 के पृष्ठ 251-264
नम्बर 02 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

(Signature)
रजिस्ट्रार/अधिकारी
सासन



Seemax International School
Seema Singh
Manager

Principals
Seemax International School
Tilapra, Greater Noida

IV 02/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शुद्धि प्रलेख तितम्मा

AM 386975

विदित हो कि ओउम सरला बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट, सरला सदन, गली नं-2, केएन0 जैन0 क्वार्टर कॉलेज के सामने, सासनी जन्मद- हाथरस १३०५०१ के हम् ट्रस्टीगण अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 38 वर्ष निवासी-एच0-30, अल्पद्वितीय ग्रेटर नोएडा, जिला-गाँतमबुद नगर १३०५०१, चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री होंती सिंह आयु 52 वर्ष नि0 ज्योति कॉलॉनी, सिकन्दरा राउ जिला-हाथरस १३०५०१, संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 36 वर्ष नि0 संजय कॉलॉनी, सासनी जिला-हाथरस १३०५०१, सीमा सिंह पत्नी श्री अरुण कुमार सिंह आयु 35 वर्ष निवासी- एच0-30, अल्पद्वितीय ग्रेटर नोएडा, जिला-गाँतमबुदनगर १३०५०१, जया कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह आयु 32 वर्ष नि0 संजय कॉलॉनी, सासनी जिला-हाथरस १३०५०१ व गिरिजेश कुमारी पत्नी श्री ललित कुमार सिंह आयु 32 वर्ष नि0 ग्राम-टिकारी पोस्ट- टिकारी तहसील- सासनी जिला-हाथरस १३०५०१ ने उपरोक्त ओउम सरला बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट-डोड का रजिस्ट्रेशन कराया था जिसकी पु0 सं0 4 छाप सं0-1 के पृष्ठ सं0 251/264 पर अंकित है। जिसकी दस्तावेज सं0-02 है। तथा जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 18-5-2007 को हुयी है।

इस ट्रस्ट-डोड में सव्वन भा से पृष्ठ सं0-3 के बिन्दु सं0-19 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द गलती से जुड़ गये हैं तथा इसी बिन्दु में आध्यात्मिक शब्द दो जगह आया है यानि बिन्दु 19 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द लिखे हैं। वह गलत लिख गये हैं। इसलिये धार्मिक एवं

-2-

Anam Singh


चन्द्रवीर सिंह

संजय कुमार सिंह

Jaya Singh

जया कुमारी

Girish



Seema Singh School
Tilapta, Greater Noida

Seema Singh
Manager



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१२३

09AB 119308

आध्यात्मिक शब्दों को बिन्दु 19 से बिलकुल हटाया जाता है यानि धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग बिन्दु 19 में अब कहीं भी नहीं है। बिन्दु 19 को इस प्रकार पढ़ा जाय एवं समझा जाय -जन सामान्य को गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस तितम्मा १ शुद्धि प्रलेख १ के लिखने से ट्रस्ट-डोड को मालियत आदि किसी पर भी कोई अन्तर व असर नहीं पड़ता है। अतः हम सभी उपरोक्त ट्रस्टोणन ने अपनी पूर्ण सहमति से यह तितम्मा १ शुद्धि प्रलेख लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। इति-

प्रोटो प्रमाणितकर्ता व मसौदा तैयारकर्ता:- मुकेश कुमार गुप्ता
"कातिब" तहसील- सासनी ।

Mukesh
मुकेश कुमार गुप्ता
कातिब
सासनी (दाधरस)
साठ नं०-64/06
फोन नं०... 301...

तहरीर दिनांक- 21-01-2011.

Anam Singh - *अनम सिंह* *गुणकान्त सिंह* *गुणकान्त सिंह* *उषा कुमारी* *गिरिश*



Seemak International School
Tilapata, Greater Noida

Seemab Singh
Manager

18-1-2011

737

पुस्तक संख्या
पृष्ठ संख्या
मखर

श्री अशोक कुमार शर्मा
10

भाषा दिनांक 21/1/11 को इलेक्ट्रोस्टैट
पुस्तक संख्या IV के पृष्ठ 77/80
संख्या 02
मखर 02

14/1/11
नं-93
31-03-201

रजिस्ट्रार
आफिसरी

अधिकारी
21/1/11

Arjun Gupta



चन्दनी शर्मा



संजय कुमार शर्मा



Seema Singh



ऊषा कुमारी



Ganesh



(R.T.)

[Signature]



[Signature]



कभी नष्ट प्रतीत होते हैं, अगुल्य चिह्न विधिवत स्थिते गये।

Principal
Seemax International School
Iitapla, Greater Noida

Seemax International School
Manager

सप-निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100


HUNDRED RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्याय परिषद निलेख

ED 410347



विदित हो कि ओम सरला बाबू एग्लोबानल ट्रस्ट, सरला तदन गली नं०-2, के०एल०जेन०इण्टर कॉलेज के सामने, सातनी जन्मद- बाधस्त । इस ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 18-5-2007 को पृ० सं०- 4 खण्ड सं०-01 के पृ० सं०- 25/264 पर अंकित है जिसकी दस्तावेज सं०- 2 है । उक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ सं०-4 के कॉलम -6 के खण्ड ख में श्री अरुण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्याइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोनों व्यक्ति अपने-अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे जब तक कि उनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है, यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्याइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ ज्याइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी को आप्त कर लेंगे। तथा कॉलम 6 के खण्ड ग में आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की क्षता में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा

---2

Om Singh

Gagan Singh

Seema Singh

Dwank

अरुण कुमारी चन्दीराजे

Seemax International School
Ilapta, Greater Noida

Seemax International School
Seema Singh
Manager

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

121

36AA 796034

ज्येष्ठम पुत्र / पुत्री स्वतः दूटी को अप्ट समझे जायेगी । तथा अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे ।

अब उपरोक्त दूट डीड के पृ 4 के कॉलम-6 के छह- छ में अंकित श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह "ओम सरला बाबू एडवोकेट नल दूट के ज्वॉइन्ट मैनेजिंग दूटी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक- 22-8-2019 को त्याग पत्र देने के साथ-साथ उक्त पद पर श्री सत्यम कुमार सिंह पुत्र श्री अरुण कुमार सिंह निवासी स्थ 03 सत्यम सेक्टर , गेट नोस्टा को स्वेच्छा से नामित किया है । जितमें अन्य सभी दूटीगण की पूर्ण स्वीकृति एवं सहमति है।

-3-

Sanjay Singh Sanjay Singh Seema Singh Pranav

अबा लुगरी व-उनी रास

Seemax International School

Seema Singh
Manager

Principal
Pranav
Seemax International School
Tilapla, Greater Noida

Scanned by CamScanner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥ ३ ॥

36AA 796035



जिसका सभी दूकटीणों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया है।

अतः यह नाम परिवर्तन प्रलेख दूकट की नियमावली के अनुसार किया गया है। ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति-

तहरीर दिनांक 25-8-2018 दिन शनिवार।

Manoj Singh *Sahjan Singh* *Seema Singh* *Ramesh* *अपा कुमारी* *चन्दनी राव*

ATTESTED
K.K.V.
KMALESH KISHORE
NOTARY (Govt. of India)
Distt M M Nagra (UP)

Seemax International School

Seema Singh
Manager

Principal
Seemax International School
Iilapta, Greater Noida

Signed by *Manoj Singh*

IV 15/2021

E-STAMP NO. UP16224204
मुनेश कुमार बाषाण
ब-83, एए-2020




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP63985705974046T
Certificate Issued Date	: 09-Apr-2021 01:44 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14224204/ SASNI/ UP-HTR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1422420415514068679160T
Purchased by	: OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	: Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 750 (Seven Hundred And Fifty only)

Shreed
9/4/2021
ESTAMP
LOCKED
Sub Registrar
Sasni, Hathras



.....Please write or type below this line.....

Chauhan Anshu

चौहान अंशु

D

Seema Singh

उमषा कुमारी

Umesh Singh

RS 0001608340

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and its available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Seemax International School
Tilapat, Greater Noida

Seemax International School
Seema Singh
Manager

(2)

शुद्धि प्रलेख (। तितम्मा ।)

स्टाम्प शुल्क - 750

(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



(Signature)
एम. के. गुप्ता
कोटे प्रमाणित



विदित हो कि ओउम सरला बाबू एजुकेशन ट्रस्ट , सरला सदन , गली नं0 2 , के0 एल0 जैन इण्टर कॉलेज के सामने , सासनी जनपद हाथरस (उत्तर प्रदेश) की ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/05/2007 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ 251/264 पर अंकित है । जिसकी दस्तावेज संख्या 02 है । उक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ संख्या 04 के कॉलम 06 के खण्ड ख में श्री अरुण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)


(3)

होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोनों व्यक्ति अपने अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे जब तक कि उनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है , यदि आकिस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से ट्रस्टी ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी को आप्त कर लेंगे । तथा कॉलम 6 के खण्ड ग में आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा ज्येष्ठतम पुत्र/पुत्री स्वतः ट्रस्टी को आप्त समझे जायेंगे । तथा अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे ।

अब उपरोक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ 4 के कॉलम 6 के खण्ड ख में अंकित श्री संजय कुमार सिंह पुत्र बाबू सिंह "ओउम सरला बाबू एजुकेशन ट्रस्ट" के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 22/08/2018 को त्याग पत्र देने के साथ साथ उक्त पद पर सत्यम कुमार सिंह पुत्र श्री अरुणकुमार सिंह निवासी एच0-30 , अल्फा सैकण्ड गेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) को स्वेच्छा से नामित किया है ।

इस ट्रस्ट डीड में सहवन के समय कुछ शर्त व शरायतें पृष्ठ संख्या 7 विन्दु 12 छूट गयी थी जो इस प्रकार हैं ।

Sanjay Singh




Sanjay Singh




Pransh




Seema Singh



अषा कुमारी



Sanjay Singh




(4)

विभाग/शासन के प्रतिबन्धों की बाध्यता

- क. विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाय ।
- ख. विधालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निवेश द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- ग. विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत सथान अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।
- घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा काउन्सिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेशन एक्जामिनेशन नई दिल्ली सेंद्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजेकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों में सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- ङ. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- छ. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी ।

Chitra Singh



चरवी सिंह



Ramesh



Seema Singh



उषा कुमारी



Sharma Singh



Seema

- ज. विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा | यदि हां हो तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विधालय को विभाग/ शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार हैं |
- झ. उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा |

उपरोक्त शुद्ध प्रलेख का सभी ट्रस्टीगणों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया है | जो कि निम्न लिखित हैं -

ट्रस्टीगण अरुण कुमार सिंह (मैनेजिंग ट्रस्टी) पुत्र स्व० श्री बाबू सिंह निवासी एच०-30, अल्फा सैकण्ड गेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश }, चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व० श्री होती सिंह निवासी ज्योति कॉलौनी सिकन्दाराऊ जिला हाथरस { उत्तर प्रदेश }, देवांश कुमार सिंह पुत्र श्री अरुण कुमार सिंह एच०-30, अल्फा सैकण्ड गेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश }, सीमा सिंह पत्नी अरुण कुमार सिंह एच०-30, अल्फा सैकण्ड गेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश }, ऊषा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह निवासी संजय कॉलौनी, सासनी जिला हाथरस { उत्तर प्रदेश }, सत्यम कुमार सिंह (ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी) पुत्र श्री अरुण कुमार सिंह निवासी एच०-30, अल्फा सैकण्ड गेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश } |

इस तितम्मा {{ शुद्धि पत्र }} के लिखने से ट्रस्ट डीड की मालियत आदि किसी पर भी कोई अन्तर व असर नहीं पडता है | अतः हम सभी उपरोक्त ट्रस्टीगण ने अपनी पूर्ण सहमति से यह तितम्मा {{ शुद्धि पत्र }} लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें | इति |

Arun Singh




चन्द्रवीर सिंह




Devans



Seema Singh



ऊषा कुमारी



Satyam Singh




Huma

(6)

गवाह नं0 - 1

मुकेश कुमार नंगाइच पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा
निवासी ग्राम असरोई तहसील इगलास जिला अलीगढ
साक्ष्य आधार कार्ड मो0 नं0 9719547635



(Signature)
एम. मुस्ता
बोर्ड प्रमाणित

Asch

गवाह नं0 - 2

अनिल कुमार पुत्र श्री हरिवंश कुमार
निवासी देवीनगर रोड हाथरस - जक्शन तहसील व जिला हाथरस
साक्ष्य आधार कार्ड मो0 नं0 8449299091



(Signature)
एम. मुस्ता
प्रमाणित

Anil Kumar

Anam Singh



र.डी.प्रिये



Diana b



Seema Singh



उषा कुमारी



Geetam Singh



Prerna

Seemax International School
Illapta, Greater Noida

Seemax International School


(Signature)
Manager

(7)


साक्ष्य एवं गवाहन की स्जिनाख्त पर
फोटो प्रमाणित कर्ता मसौदा तैयार कर्ता :-

मुकेश कुमार गुप्ता कातिब
तहसील सासनी जिला हाथरस ।

तहरीर दिनांक 09/04/2021


मुकेश कुमार गुप्ता
कातिब
सासनी (हाथरस)
भा.नं. 84/05

Anam Singh



अनम सिंह




D. Namak



Seema Singh



अंधा कुमारी



Shyam Singh

